

रजि. डाक द्वारा

फा.सं. सतर्क./2-753/2006(311)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगरी, नई दिल्ली-29

दिनांक : 24 SEP 2016

सेवा में,

श्री आशीष कुमार चतुर्वेदी,
गली नं. 5 नाका चन्द्रवदनी,
लश्कर ग्वालियर (मध्य प्रदेश)-474001.

विषय: सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत अपील।

महोदय,

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की क्षमता के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त विषयक आपकी अपील दिनांक 23.08.2016 की जांच की गई जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के जवाब दिनांक 04.05.2016 के विरुद्ध की गई है।

इस संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह पाया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आपके दिनांक 30.03.2016 के आर.टी.आई. आवेदन जो कि सतर्कता प्रकोष्ठ को दिनांक 26.04.2016 को प्राप्त हुई में मांगी गई सूचना को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) द्वारा निर्धारित समय में सही जानकारी दिनांक 04.05.2016 को उपलब्ध करा दी गई थी।

अतः उपर्युक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

मनीष सिंहल

(डॉ. मनीष सिंहल)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं
अपीलीय प्राधिकारी (सतर्कता)

प्रति सूचनार्थ:-

1. श्री ललित उरांव, प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली।
- ✓ 2. प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा- इस अनुरोध के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

Mr. Saiged
Saiged
26-9-16